

16¹⁰
2019

:: निर्णय ::

प्रस्तावकी आज प्रस्तुत ~~है~~
रघुलाम मरीकम व पुत्रिका
अलमारी प्रेमाल अरिबेल।

Low
सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलास

इस मामले में दिनांक 18-1-2018 को वादी को अपने साक्ष्य पेश करने को आदेश दिया गया अतः इतनी लम्बे अवधि व्यतीत हो जाने पर वादी द्वारा अपने साक्ष्य पेश नहीं किये गये। आरीवकाट दिनांक 30-8-2019 को वादी को अपने साक्ष्य पेश करने हेतु समय 2001-पी कोर्ट पर अवसर अनन्तम प्रदान किया गया अतः वादी को और भी अपने साक्ष्य पेश नहीं किये।

अतः वादीगण का वाय अन्तर्गत धारा 88, 92 (ए) राज्यपाल का प्रस्ताव को अप्रतिबन्ध 1955 अधिनियम के तहत निम्नलिखित किया जाता है।

पन्नावली मसल शुमार व नम्बर से कर होकर शामिल दस्ता है।

निर्णय से इज्जलस हुआ गया।

(*Signature*)
(रविन्द्र कुमार)

सहायक कलेक्टर
एच डी खण्ड
बिकाधी
बिलाड़ा